

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड-II में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

अधिसूचना सं० 43/2015-2020
नई दिल्ली, दिनांक: 29 दिसम्बर, 2017

विषय: प्याज की निर्यात नीति- प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) रोपित करना।


सा० आ० (अ) विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित, यथा संशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं० 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा तत्काल प्रभाव से प्याज के निर्यात से संबंधित दिनांक 23.11.2017 की अधिसूचना सं० 39/2015-20 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. दिनांक 23.11.2017 की अधिसूचना सं० 39/2015-20 के पैरा 2 को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

" 31.12.2017 तक " के शब्द एवं आकड़ों को संशोधित कर " 20.01.2018 तक " पढ़ा जाये।

3. इस अधिसूचना का प्रभाव:

उपरोक्त यथा वर्णित सभी किस्मों की प्याज का निर्यात 20.01.2018 तक केवल साख पत्र (एलसी) के साथ प्रति मिट्रिक टन 850 अमरीकी डालर एफओबी के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के अध्यक्षीन अनुमत होगा।



(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेल: dgft@nic.in

(फा०सं० 01/91/180/922/एएम 08/पीसी-3/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)